

13-2-17 वकूलाय फरीदगढ़ उच्च अदालत
21/1/18 को पत्र लिखा जा रहा है।
8-1-18 को पत्र है।

8-1-18 पत्रावली प्रस्तुत वकील अशोक/रेणु उपस्थित
आपत्ति अधिकारी महोदय को उपस्थित
पर है। अतः पत्रावली पूर्व अदालत दिनांक 24-1-18
को पेश हो।

26-1-18 वकूलाय फरीदगढ़ उच्च अदालत सुनवाई
गई। उभयपक्षों ने सहमति जताई
की है कि अपील को खींचकर
कर निस्तारण हेतु अदालत
मातहत को विभांड किया जाता
है तो पक्षकारों को कोई ऐतराफ
मंही है। अतः उभयपक्षों के अभिमापक
गणों की सहमति पर अपील खींचकर
की जाती है तथा अदालत मातहत
का अपीलवादी कोदेश निस्तारण
पुनः निर्णय हेतु प्रकारण विभांड किया
जाता है। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक
6-2-18 को उपस्थित होवे। पत्रावली नम्बर
संक्रम है। निर्णय सुनाया गया।

जयशंकर राय
2/2/2016

जयशंकर अधिकारी एवं
पवन राय अपील अधिकारी
सीकर